मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी नयार, बड़खोलू में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 04.10.2014 (अपरान्ह 2.00 बजे) स्थान तहसील परिसर, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी नयार बड़खालू में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, श्री बी0एस0 चलाल की अध्यक्षता में तहसील परिसर, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) व रविन्द्र पुण्डीर (वैज्ञा0 सहा0) उपस्थित थे।

स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर एक ही स्थान पर लोक सुनवाई होने के कारण एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 12.30 बजे अपरान्ह लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नयार नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 26.08.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप

सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बी0एस0 चलाल, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवके कुमार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 9.004 है0 है। जो कि ग्राम हण्डुल, तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवके कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय-समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू0 4.71 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी नयार, बड़खोलू में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण सार रूप में निम्नानुसार है-

1. **श्री अर्जुन सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि नदी में खनन होने से आने से कृषि भूमि का कटाव हुआ है, जंगल कट गये हैं एवं साथ ही शीशम आदि कीमती पेड़ भी नदी में बह गये है। उनके द्वारा विरोध किया गया।

2. **श्री सुनील काला (समाज सुधारक) निवासी ग्राम उखलेत** द्वारा कहा गया कि खनन नहीं होना चाहिए। खनन होने से वन सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति को नुकसान हुआ है।

3. **श्री गम्भीर सिंह, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि खनन होने से हमारे खेत बह जायेंगे। उन्होनें सुझाव दिया कि वैज्ञानिक तरीका देना है तो, हमारे खेतों के लिये दें, जिससे हमारे खेती का विकास हो, उपज बढ़े। यदि हमारे खेत बह जायेंगे तो हम भिखारी बन जायेंगे, क्योंकि हम ग्रामवासी खेती पर ही निर्भर हैं। हमारी आजीविका खेती से ही चलती है।

4. **श्री जंगवीर सिंह, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि नदी के संगम पर दोंनो तरफ बाढ़ से हमारे खेतों को नुकसान हो गया है तथा पुल को भी नुकसान हो रहा है। इसलिये हमारे क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए।

5. **श्री मलिक राज, निवासी चमोली सैंड** द्वारा कहा गया कि हम नदी में खनन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम अवैज्ञानिक तरीके से खनन के विरोध में हैं। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा हमारी पैतृक जमीन पर खनन किया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन के पट्टे स्थानीय ग्रामीणों को ही मिलने चाहिए तथा खनन सामग्री में भी छूट मिलनी चाहिए तथा खनन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए।

6. **श्रीमती कुट्टी देवी, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि हमारे गांव में खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे गांव की समस्या के सम्बन्ध में शासन–प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

7. **श्रीमती सुलोचना देवी, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि हमारे क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा खनन का विरोध किया गया।

8. **श्रीमती संगीता नेगी, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि खनन होने से हमारे खेत और कीमती पेड़ नदी में बह गये हैं। हम सब महिलायें इस खनन का विरोध करती हैं।

9. **श्रीमती देवेश्वरी देवी, निवासी ग्राम बड़खोलू** द्वारा कहा गया कि हम सब किसान हैं तथा खेती पर ही निर्भर करते हैं। हम खनन के विरोध में हड़ताल पर बैठगीं और हम सब महिलायें खनन को रोकने के लिए अपनी जान दे सकती हैं।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, जिसमें उपस्थित जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी। उपस्थित जन समुदाय द्वारा उक्त क्षेत्र में खनन का विरोध किया गया।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03 सैट
2. डी0वी0डी0 – 03 सैट
3. उपस्थिति पंजिका – 03 सैट

(रविन्द्र पुण्डीर)
वैज्ञा0सहा0

(डा0 अजीत सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

(बी0एस0 चलाल)
अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

नदी नयार बड़खलूं, पौड़ी गढ़वाल में चुगान/खनन हेतु दिनांक 04/10/2014, समय (11:00) स्थान तहसील परिसर सतपुली पौड़ी गढ़वाल में आयोजित, पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित लोकसुनवाई में उपस्थित होने वाले जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका —

क्रम सं०	नाम एवं पद	पता	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1.	B. S. Chalal ADM एस०डी० डोडियाल ADM (Admn.	ADM Fin. पौड़ी GM VN	8650922201 9412071670	
2.	डा० अजीत सिंह (संप्रे० अधि०)	उ०पर्या० सं० एवं प्रदूषण नियं० बोर्ड, देहरादून	8937023466	
3.	श्री विनोद पुरोहित (तकनी० सहा०)	-do-	9719120812	
4.	संजय कुमार (सीनियर आ०)	-do-	9675042292	
5.	हरेन्द्र सिंह	ग्राम वाड़सोल		
6 -	जितेन्द्र बिष्ट	-do-	—	
7 -	गौरव बिष्ट	-do-		
8 -	जितेन्द्र सिंह	-do-	9627103228	
9 -	रोहित कुमार [illegible]	-do-	8006097880	